न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

रामनिवास आदि बनाम तहसीलदार सीकर ग्रामीण

किस्म मुकदमा 131,136 LR मु.नं. 332 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा – पत्र
21/08/25	प्रार्थीगण रामनिवास दत्तक पुत्र जवाहरा, सोहनलाल पुत्र गणपतराम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम कूदन तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर द्वारा आवेदन विषयक राजस्व रिकॉर्ड में विभाजन आदेशानुसार तरमीम शुद्ध करने बाबत के अनुसार "ग्राम कूदन तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर में अवस्थित मूल खसरा सं. 328 का सहमति विभाजन आदेश प्रशासन गांवों के संग अभियान– 2001 के आदेश क्रमांक 53–54 दिनांक 11.01.2002 में दर्शाये अनुसार दिशाओं के हिसाब से तरमीम न की जाकर गलत की गई है जबकि मौके पर हम खातेदारों का कब्जा काश्त आदेश में दर्शाई गई दिशा अनुसार ही है। अतः नक्शा लठ्ठा व ऑनलाईन रिकॉर्ड में उक्त शुद्धि की जावें।" उक्त आवेदन के संबंध में तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./25/2797 दिनांक 13.08.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसका अवलोकन किया गया। जो कि मुताबिक प्रार्थीगण के अनुतोष के अनुसार सही है। अतः मुताबिक तहसीलदार, सीकर ग्रामीण की रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाना उचित है। प्रकरण अ.धारा 131, 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें। अतः तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./25/2797 दिनांक 13.08.2025 द्वारा प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम कूदन तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर में अवस्थित मूल खसरा सं. 328 के नये खसरा सं. 1074/328 व 1075/328 के संबंध में तरमीम दुरूस्ती तहसीलदार की उक्त रिपोर्ट में दर्शित नजरी नक्शा के अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार मौके के अनुसार तरमीम व रकबा ऑनलाईन/ऑफलाईन नक्शे व राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में दुरूस्त किया जावें। उक्त की पालना करते समय यह ध्यान में रखा जावें कि उक्त तरमीम दुरूस्ती करने से किसी भी सीमा से लगते हुये प्रार्थीपक्ष/खातेदारान के खसरानों के अलावा अन्य खसरानों के रकबे व स्थिति में परिवर्तन नहीं हों। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदारान जिम्मेदार होगें। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./25/2797 दिनांक 13.08.2025 के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। आदेश सुनाया गया। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.08.26 15:06:02 IST
Reason: SelfAttested